पत्र संख्या-वा0अनु0/परिपत्र/2025-26/ ५५८ /राज्य कर

प्रेषक,

आयुक्त, राज्य कर,
उ0प्र0, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त जोनल अपर आयुक्त, राज्य कर, उ0प्र0,
समस्त अपर आयुक्त ग्रेड-2, राज्य कर, उ0प्र0,
समस्त संयुक्त आयुक्त, राज्य कर, उ0प्र0।

(वाद अनुभाग) लखनऊ:: दिनांक:: ०५ ~~जुलाई~~ अगस्त 2025

महोदय,

कृपया अपर आयुक्त ग्रेड-1 (उ0न्या0कार्य), राज्य कर, प्रयागराज के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या- 2129 दिनांक 18.07.2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा यह अवगत कराया गया है कि मा0 उच्च न्यायालय में योजित विभिन्न वादों में दाखिल किये जाने वाले इंस्ट्रक्शन/नैरेटिव /प्रस्तरवार आख्या में रिट के सभी बिन्दुओं के सम्बन्ध में यथोचित जवाब नहीं दिये जा रहे हैं।

अवगत कराना है कि पूर्व में भी मुख्यालय द्वारा फील्ड अधिकारियों को उक्त के सम्बन्ध में निर्देशित करते हुए परिपत्र संख्या-1581 दिनांक 14.03.2022, परिपत्र संख्या-1289 दिनांक 12.01.2023, परिपत्र संख्या-222 दिनांक 18.05.2023, परिपत्र संख्या-1068 दिनांक 13.09.2024, परिपत्र संख्या-1566 दिनांक 06.12.2024 तथा परिपत्र संख्या-136 दिनांक 09.05.2025 जारी किये गये हैं, जिसके पश्चात भी दिये गये निर्देशों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है।

मा0 उच्च न्यायालय में संस्थित वादों की पैरवी के दौरान तथा न्यायालय में उपस्थित स्थायी अधिवक्ता द्वारा संज्ञानित किया गया है कि राज्य कर विभाग से सम्बन्धित वादों में दाखिल किये जाने वाले इंस्ट्रक्शन फील्ड अधिकारियों द्वारा अपूर्ण रूप से प्रेषित किया जा रहा है। प्राय: उनके द्वारा प्रेषित इंस्ट्रक्शन में तथ्यों का उपयुक्त समावेश न होने के कारण विधिक विवेचना नहीं हो पा रही है, जिससे मा0 न्यायालय के समक्ष प्रारंभिक स्तर पर ही विभाग का समुचित पक्ष प्रस्तुत नहीं हो पा रहा है। अत: फील्ड में कार्यरत अधिकारियों द्वारा समयान्तर्गत इंस्ट्रक्शन प्रेषित करते हुए प्रकरण के सम्बन्ध में उल्लेख किये जाने के साथ-साथ उन बिन्दुओं/तथ्यों पर बल दिया जाना चाहिए, जिन बिन्दुओं का उल्लेख रिट याचिका एवं मा0 न्यायालय के अंतरिम निर्णय में किया गया हो।

मा0 उच्च न्यायालय के समक्ष प्रतिशपथ पत्र दाखिल किये जाने वाले प्रकरणों में फील्ड स्तर से सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा नैरेटिव व प्रस्तरवार आख्या प्रेषित की जाती है एवं प्रेषित नैरेटिव व प्रस्तरवार आख्या के आधार पर ही मुख्य स्थायी अधिवक्ता कार्यालय द्वारा प्रतिशपथ पत्र तैयार किया जाता है। इस सम्बन्ध में मुख्य स्थायी अधिवक्ता द्वारा यह आपत्ति दर्ज करायी गयी है कि राज्य कर विभाग से सम्बन्धित रिट याचिकाओं के सम्बन्ध में उपलब्ध करायी गयी नैरेटिव व प्रस्तरवार आख्या में स्पष्ट, तर्कसंगत एवं युक्तियुक्त आख्या प्रस्तुत नहीं किये जा रहे हैं। परिणामस्वरूप मा0 न्यायालय में विभागीय हित व राजस्व प्रभावित हो रहा है। इस परिप्रेक्ष्य में यह अपेक्षित है कि दाखिल किये जाने वाले नैरेटिव व प्रस्तरवार आख्या में आवश्यक तथ्यों को समाहित करते हुए रिट के प्रत्येक बिन्दु पर स्पष्ट, तर्कसंगत एवं युक्तियुक्त आख्या समयबद्ध रूप से उपलब्ध करायी जाय, ताकि प्रकरण में विधिक एवं तथ्यात्मक प्रतिशपथ पत्र यथासमय मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये जा सके।

अतः निर्देशित किया जाता है कि अपने समस्त अधीनस्थ अधिकारियों को उक्त से अवगत कराते हुए मा0 उच्च न्यायालय में दाखिल किये जाने वाले इंस्ट्रक्शन/नैरेटिव/प्रस्तरवार आख्या के सम्बन्ध में उपरोक्तानुसार अपेक्षित कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें, जिससे मा0 न्यायालय के समक्ष किसी अप्रिय स्थिति से बचा जा सके। दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

यह परिपत्र आयुक्त, राज्य कर, उ0प्र0 के अनुमोदनोपरान्त जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

(मूल चन्द्र)
अपर आयुक्त(विधि), राज्य कर,
उ0प्र0, लखनऊ।

पृष्ठांकन पत्र संख्या व दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- विशेष सचिव, राज्य कर अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2- अपर आयुक्त ग्रेड-1/2 (उ0न्या0कार्य), राज्य कर, प्रयागराज/लखनऊ।
3- अपर आयुक्त ग्रेड-1, राज्य कर (उ0प्र0 राज्य कर अधिकारी प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान), लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उक्त के सम्बन्ध में आवश्यक प्रशिक्षण कराया जाना सुनिश्चित करें।
4- संयुक्त आयुक्त (आई0टी0), राज्य कर, मुख्यालय, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त को विभागीय वेबसाइट पर समस्त अधिकारियों के सूचनार्थ प्रकाशित करने का कष्ट करें।

01/08/25

अपर आयुक्त(विधि), राज्य कर,
उ0प्र0, लखनऊ।

Office-Additional Commissioner Gr-1
Commercial Tax, Prayagraj
(High Court Works)

ललित मिश्र
अपर आयुक्त ग्रेड–1 (उ0न्या0कार्य)
राज्य कर, प्रयागराज ।

अ0शा0पत्र सं0– 2129 /अपर आयुक्त ग्रेड–1 (उ0न्या0कार्य)
राज्य कर, प्रयागराज।

दिनांक:: प्रयागराज : : 18 जुलाई 2025

आदरणीय महोदय,

अवगत कराना है कि प्रति शपथपत्र दाखिल किये जाने हेतु फील्ड स्तर से संबंधित अधिकारियों द्वारा नैरेटिव एवं प्रस्तरवार आख्या प्रेषित की जाती है एवं प्रेषित प्रस्तरवार आख्या के आधार पर ही मुख्य स्थायी अधिवक्ता कार्यालय द्वारा प्रति शपथपत्र तैयार कराया जाता है। इस संबंध में मुख्य स्थायी अधिवक्ता कार्यालय द्वारा लगातार आपत्ति दर्ज करायी जा रही है, कि व्यापारी द्वारा दाखिल रिट के विभिन्न पैरा का उचित जवाब न देने की स्थिति में विभागीय पक्ष कमजोर हो जाते रहे हैं। माननीय उच्च न्यायालय कार्यालय द्वारा भी लगातार नैरेटिव एवं प्रस्तरवार आख्या का विश्लेषण किया जा रहा है एवं इस स्तर पर भी यह पाया गया है कि उपलब्ध करायी गई प्रस्तरवार आख्या/ इंस्ट्रक्शन में रिट के सभी विन्दुओं का उचित जवाब नहीं दिये गये हैं। प्रतिशपथपत्र/इंस्ट्रक्शन की प्रकिया दाखिल करने, समयबद्धता की सीमा को दृष्टिगत कर इस कार्यालय स्तर से पुनः प्रस्ताव फील्ड स्तर को वापस करना विधि अनुकूल उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः अनुरोध है कि महोदय उचित समझें तो, कृपया अपने स्तर से फील्ड स्तर पर यह निर्देश जारी करने की कृपा करें, कि समस्त अधिकारी उपलब्ध करायी जा रही रिट के विभिन्न पैरा का उचित एवं समीचीन जवाब तैयार कराने के पश्चात् ही इस कार्यालय को उपलब्ध करायें, जिससे मुख्य स्थायी अधिवक्ता कार्यालय के माध्यम से उपयुक्त शपथपत्र तैयार कर माननीय न्यायालय के समक्ष विभाग की उचित पैरवी करायी जा सके एवं इस कार्यालय को उपलब्ध कराये जा रहे प्रारम्भिक इंस्ट्रक्शन भी उचित रूप में स्पष्ट उपलब्ध करायें, जिससे माननीय न्यायालय के समक्ष प्रारम्भिक स्टेज पर ही विभाग के पक्ष में तथ्य प्रस्तुत किये जा सकें।

आदर सहित,

भवन्निष्ठ,

(ललित मिश्र) 18/7/25

डॉ0 नितिन बंसल
(IAS)
आयुक्त, राज्य कर,
उ0प्र0, लखनऊ।

अ0शा0प0सं0: /व दिनांक उक्त।
उक्त अर्द्धशासकीय पत्र की प्रतिलिपि महोदय की सेवा में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

आयुक्त (वाद अनुभाग) राज्य कर
मुख्यालय लखनऊ ।

अपर आयुक्त/ JC (सेवावाद/वाद)

भवन्निष्ठ

(ललित मिश्र)

JC (वाद)

ADC 22.7.25 944

2451

आयुक्त 21.07.2025

3856 22/07/2025

श्री अमलेश